



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032021-225737
CG-DL-E-09032021-225737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 996]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2021/फाल्गुन 18, 1942

No. 996]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2021/PHALGUNA 18, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021

का.आ. 1084(अ).— उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इसके दिनांक 27.01.2021 के संकल्प सं0 258 के अंतर्गत श्री आदेश कुमार गुप्ता, निगम पार्षद, वार्ड सं. 98 - एन, के चयन के परिणामस्वरूप, श्री आदेश कुमार गुप्ता, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल के स्थान पर, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ड) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि या जब तक वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद के पद पर बने रहते हैं, जो भी पहले हो, के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य होंगे।

[फा. सं. के-11011/21/2004-डीडी1ए]

वी. के. कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2021

S.O. 1084(E).—Consequent upon election of Shri Adesh Kumar Gupta, Municipal Councillor, Ward No 98-N, by North Delhi Municipal Corporation, vide its Resolution No. 258 dated 27.01.2021 *vice Shri Shyam Sunder Aggarwal, East Delhi Municipal Corporation*, Shri Adesh Kumar Gupta shall be a member of Delhi Development Authority under clause (e) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), with immediate effect, for a period up to 31st December, 2021 or until he ceases to be a Councillor of North Delhi Municipal Corporation, whichever event takes place earlier.

[F. No. K-11011/21/2004-DDIA]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.